192

कार्यालय मुख्य अभियंता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.45/पीएण्डएम–II/परिपत्र/05/डी–130 दिनांक: 25/10/17

परिपत्र

राज्य में सा0 नि0 विभाग की सडकों की सीमाओं को अतिक्रमण से बचाने एवं अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही के लिए समय–समय पर इस कार्यालय के परिपत्रों एवं पत्रों द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों से यह परिलक्षित होता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नही की जा रही है तथा जिला एवं संभाग स्तर पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक मोनीटरिंग भी नहीं की जा रही है। यातायात के बढते दबाव के सन्दर्भ में आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण आम जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पडता है एवं दुर्घटना भी सम्भावना भी बढ जाती है। अतः विभाग के समस्त अधिकारियों को इस परिपत्र के द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि:–

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 2(2)/सा0नि0/ए एस/2004 दिनांक 16.10.2004 एवं प.6/पी. एण्ड. एम–II/ अतिक्रमण/04/184 दिनांक 17.09.2017 की अनुपालना में अपने कार्य क्षेत्र में सानिवि की भूमि पर हुए अतिक्रमण की सूची मय विवरण, अधिशाषी अभियन्ता प्रत्येक माह की दस तारीख को सम्बन्धित जिला कलक्टर को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करेगें।
2. सूची प्रस्तुत करने के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता जिला कलक्टर से सम्पर्क कर अतिक्रमण हटावाने हेतु प्रयास करेगें।
3. प्रत्येक माह की दस तारीख को अतिक्रमणों के विवरण के साथ विगत माह में हटाये गये अतिक्रमणों की सूचना अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं अति0 मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत की जाएगी।
4. अतिक्रमण हटाने के उपरान्त उस स्थान पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी जिम्मेदारी सहायक अभियन्ता की होगी एवं पुनः कब्जे की स्थिति में सहायक अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को शीघ्र सूचित किया जाएगा।
5. अतिक्रमणों एवं हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में एक विशेष पंजिका में संधारित किया जाएगा।
6. अतिक्रमणों को हटावाने के सन्दर्भ में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गयी कार्रवाई एवं अपेक्षित कार्रवाई की समीक्षा संभाग स्तर पर अति0 मुख्य अभियन्ता द्वारा त्रिमासिक बैठक आयोजित कर की जाएगी एवं इस कार्य में लापरवाही पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी। यदि अति0 मुख्य अभियन्ता द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया जाए की राजस्व

विभाग के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने में रूचि नही ली जा रही है, तो सम्बन्धित जिला कलक्टर की जानकारी में लाकर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(एम0 जी0 महेश्वरी)
मुख्य अभियन्ता (पथ)
सा.नि.वि., राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः-

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, सा0निवि0 राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, सा0निवि0 राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर,.......................... समस्त।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 संभाग......................समस्त को पालनार्थ।
5. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त......................समस्त को पालनार्थ।
6. अधिशाषी अभियनता सा0नि0वि0 खण्ड..................... समस्त को पालनार्थ।

18/X/17

(एम0 जी0 महेश्वरी)
मुख्य अभियन्ता (पथ)
सा.नि.वि., राज., जयपुर